

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-1, दिनांक-29/4/2019

संख्या-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011 श्र०सं०.....20...../वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.7.10 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के डॉ० रवीन्द्र प्रसाद, प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, आरा को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.7.16 से द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) वेतन स्तर पे-बैंड-3, ग्रेड पे- 7600/- (अपुनरीक्षित) वेतन स्तर 12 (पुनरीक्षित) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप डॉ० रवीन्द्र प्रसाद का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा।

3. उपरोक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011 श्र०सं०.....20...../श्र०सं० पटना-01, दिनांक-29/4/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ डॉ० रवीन्द्र प्रसाद, प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, आरा/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमन्य वेतनपुर्जा निर्गत करें।

सरकार के उप सचिव।